

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 606/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही -

दिनांक 14-06-2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राज सिंह पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त अरमान पुत्र शहजाद निवासी बुढाना मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी की टयूबैल से उसके कुर्ते से मोबाइल फोन चोरी कर लिया । वादी व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त अरमान को मौके पर पकड लिया । वादी व जनता के लोगों द्वारा



अभियुक्त अरमान को पकडकर थाने लाया गया । थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त अरमान पुत्र शहजाद निवासी बुढाना मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 606/22 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अरमान पुत्र शहजाद निवासी बुढाना मुजफ्फरनगर हाल निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- है0का0 115 रामवीर सिंह ।
- 2-का0 962 सचिन कुमार ।

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 605/22 धारा 452/336/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर सद्दाम पुत्र युसुफ निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.अजीज पुत्र अल्लामेहर 2. लीलू पुत्र हफीज 3.वसीम पुत्र हफीज 4. घोलू पुत्र अजीज निवासीगण ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी को जान से मारने की धमकी देना व गाली-गलौच करते हुए ईंट-पत्थरों से पथराव करना, जिससे वादी के परिजन फय्याज, खुशबु, प्रवीन, व सलमान के चोट आई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 605/22 धारा 452/336/323/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 605/22 धारा 452/336/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अजीज पुत्र अल्लामेहर निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि0 श्री रामकुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2.का0 479 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 314/22 धारा 323/325/504/498ए भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 314/22 धारा 323/325/ 504/498ए भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फरमान पुत्र फते मुहम्मद निवासी इन्दिरा कालोनी गौरीपुर मोड थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उपनि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना कोतवाली बागपत
2. का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत

थाना बालैनी बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 81/22 धारा 307/504 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 30-05-22 को थाना बालैनी बागपत पर वादी तनुज पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त सचिन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम पुरा महादेव व एक अन्य अभियुक्त अभी ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से पीछे से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी



बागपत पर मु0अ0सं0 81/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान वादी के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 504 भादवि की बढोतरी की गई है ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0 सं0 81/22 धारा 307/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सचिन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम पुरा महादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री शीलेन्द्र सिंह

2- रि0का0 1010 राजीव कुमार

प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 14-06-22

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 86/22 धारा 366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही

बालैनी पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 86/22 धारा 366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री अनूप कुमार

2- म0का0 799 उमा

प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 14-06-22

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 85/22 धारा 394 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में लूटे हुए कुण्डल व 9050/ रूपये नगद बरामद किये गये ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 85/22 धारा 394 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में लूटे हुए कुण्डल



व 9050/ रूपये नगद बरामद किये गये हैं।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

1- महताब पुत्र आसफ निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में लूटे हुए कुण्डल व 9050/ रूपये नगद । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 85/22 धारा 394/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री अनूप कुमार
- 2- का0 733 विपिन शर्मा
- 3- का0 1024 उपेन्द्र यादव
- 4- का0 884 सर्जन सिंह

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 14.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 522/22 धारा 376/506/452 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 522/22 धारा 376/506/452 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक श्री रामनिवास थाना बडौत
- 2- का0 272 अवनीश कुमार थाना बडौत
- 3- का0 800 घनेन्द्र कुमार थाना बडौत

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस एवं एक होण्डा सिटी कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस एवं एक होण्डा सिटी कार बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- फैसल उर्फ फैजल पुत्र अनीस निवासी- 190/11, शास्त्रीनगर थाना नौचंदी जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर ।
- एक होण्डा सिटी कार नं0 HR- 51AB- 6665

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 244/18 धारा 307 भादवि थाना नौचंदी जनपद मेरठ ।

2-मु0अ0सं0 154/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनवीर सिंह ।

2-है0का0 289 सतेन्द्र सिंह



थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 164/2022 धारा 452/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14-06-2022 को थाना रमाला पर वादी श्री दिनेश पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर चक थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त चांदराम पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम फतेहपुर चक थाना रमाला जनपद बागपत ने उसके घर में घुसकर उसकी मां के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 164/2022 धारा 452/504/506 भादवि पंजीकृत किया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 164/2022 धारा 452/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. चांदराम पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम फतेहपुर चक थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना रमाला ।

2- का0 23 अजयपाल थाना रमाला ।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/22 धारा
307/325/504/506/352/323 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री बीर प्रताप पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त आकाश, हरिओम व विकास निवासी गण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उसका एक दांत तोड़ दिया।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 163/22 धारा 307/325/504/506/352/323 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/22 धारा 307/325/504/506/352/323 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विकास पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर।

2-है0का0 301 हरिओम थाना सिंघावली अहीर।